:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी/370/पी0बी0आर0/2008–विरूद्ध आदेश दिनांक 14–01–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 06/2006–07/निगरानी।

1. धीरजसिंह पुत्र हीरालाल गुर्जर।
2. जनकसिंह पुत्र धीरजसिंह गुर्जर।
3. मिस्टर पुत्र कल्लू गुर्जर।
   निवासीगण ग्राम अतरेजी,तहसील मुंगावली
   जिला अशोकनगर,म0प्र0। ——निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

म0प्र0शासन। ——गैरनिगरानीकर्ता

1. श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक————————निगरानीकर्तागण के लिये।
2. श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक————गैरनिगरानीकर्ता क्र–1 के लिये।

:: आदेश::

(आज दिनांक 18-5-18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/2006–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–01–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अतरेजी तहसील मुंगावली में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 308/2 च रकवा 1.045 है0, सर्वे क्रमांक 308/2 झ रकवा 1.045 है0 एवं सर्वे क्रमांक 308/2 झ रकवा में से रकवा 1.045 है0 पर निगरानीकर्तागण के द्वारा जमीदारी के समय से कब्जा होने का आधार बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली के न्यायालय में संहिता की धारा 57 के अंतर्गत आवेदन पत्र पेश करते हुये भूमिस्वामी बनाये जाने का अनुरोध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/2002–03/अ–1 पर पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 26.04.2004 से निगरानीकर्तागण को प्रश्नाधीन भूमियों पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा पारित आदेश का

परीक्षण करने पर उक्त आदेश में पायी गयी अनियमितताओं के कारण कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण स्वयमेव निगरानी में प्रकरण क्रमांक 29/2004–05/स्व0निग0 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 30.08.2006 से अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमियों को शासकीय घोषित किया गया। कलेक्टर,जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2006 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 06/2006–07/निगरानी पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 14.01.2008 से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गयी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2008 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर जमीदारी समाप्ति के पूर्व से ही निगरानीकर्तागण के पूर्वज तथा बाद में निगरानीकर्तागण काश्त करते चले आ रहे हैं। जमीदारी समाप्ति के बाद जो भूमि जमीदार के खुदकाश्त में थी, वह जमीदार के नाम अंकित हुई और जो भूमि काश्तकार के आधिपत्य में थी, उस भूमि पर काश्तकार को पट्टा कृषक घोषित किया गया जो एवं भूमि किसी के आधिपत्य में नही थी, उसे शासकीय घोषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण जिस भूमि पर काविज होकर काश्त करते आ रहे थे, ऐसी भूमि को कलेक्टर, जिला अशोकनगर को शासकीय घोषित करने का अधिकार नही था। अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन करने के उपरांत ही पूर्ण विवेचना करने के बाद ही निगरानीकर्तागण को भूमिस्वामी घोषित किया गया था। कलेक्टर,जिला अशोकनगर के द्वारा जिन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है, वह अभिलेख के विपरीत होने से कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही था, फिर भी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा बिना विचार किये ही कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा जाकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने में गंभीर भूल की गयी है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 यथावत रखते हुये प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये है कि कलेक्टर, जिला अशोकनगर एवं अपर

आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण में पूर्ण विवेचना की गयी है, जो उचित होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये निष्कर्षो को ही यथावत रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त योग्य हैं क्योंकि प्रश्नाधीन भूमियों के अभिलिखित भूमिस्वामी निगरानीकर्तागण नही थे केवल राजस्व अभिलेखों में कहीं कहीं अतिक्रामक रहे हैं। निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी बनने बावत 50 वर्षो के बाद संहिता की धारा 57 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किये जाने का गलत प्रयास किया गया था। इस प्रकार कलेक्टर, जिला अशोकनगर एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसंमत आदेश है। अतः प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि कलेक्टर, जिला अशोकनगर एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अपने अपने आदेशों में तथ्यों के आधार पर सुस्पष्ट एवं पूर्ण विवेचना की गई है। पुनः उन्हीं को दोहराया जाना में आवश्यक नहीं समझता हूं। निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से इस बिन्दु पर जोर दिया गया है कि वे विवादित भूमि पर जमीदारी काल से काविज होकर काश्त करते आ रहे हैं, किन्तु इस संबंध में निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये। कलेक्टर, जिला अशोकनगर के द्वारा प्रत्येक वर्षो के खसरों का गंभीरता से परीक्षण किया जाकर वर्षवार स्थिति अपने आदेश में दर्शायी है। प्रत्येक वर्ष के खसरों में स्थिति बदलती रही है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण का यह कहना कि वे जमीदारीकाल से ही भूमि पर काविज होकर काश्त करते आ रहें है, स्वीकार योग्य नहीं है। शासकीय भूमि पर कब्जा कर लेने या उसे जीत लेने के आधार पर वह भूमिस्वामी नहीं बन जाता है बल्कि उसकी हैसियत एक अतिक्रामक के रूप में होती है और ऐसे अतिक्रामक को शासकीय भूमि पर से कभी भी बेदखल किया जा सकता है। निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का दूसरा तर्क यह रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि जमीदारी समाप्ति के बाद जो भूमि काश्तकार के रूप में अंकित थी, उस भूमि पर काश्तकार को पट्टा कृषक घोषित किया गया है किन्तु इस संबंध में भी निगरानीकर्तागण के द्वारा कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया गया कि उसे कब और किस प्रकरण क्रमांक से पट्टेदार घोषित किया गया था और न ही राजस्व अभिलेख में इस प्रकार का कोई इन्द्राज ही है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण अभिलेखों का परीक्षण कर लेने के बाद ही कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि निगरानीकर्तागण एक बडे काश्तकार है। ग्राम अतरेजी में जनकसिंह के नाम 0.896 है0, मिस्टरसिंह के नाम 1.400 है0 तथा धीरजसिंह के नाम 2.926 है0 भूमि है। ग्राम जलालपुर में

मिस्टरसिंह के नाम 2.500 है0 तथा धीरजसिंह के नाम 9.340 है0 भूमि है। इस प्रकार निगरानीकर्तागणों के पास 17.062 है0 भूमि है। जहां तक निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही इतने अधिक वर्षो से किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है,यह तर्क भी निगरानीकर्तागण का स्वीकार योग्य नही है 2009 रे0नि0 155 भगवानदीन ब्रा0 विरूद्ध रविनन्दनप्रसाद में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नामान्तरण का आदेश प्राधिकार, कपट अथवा छल द्वारा प्राप्त किया गया हो, स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करके आदेश अपास्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लिये जाने के लिये समय सीमा वाधित नही है। अतः कलेक्टर जिला अशोकनगर एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत आदेश है, जिनमें इस निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2006 एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2008 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखे जाते है और प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर